क्रम-संख्या–45(छ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018

माघ 13, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

औद्योगिक विकास अनुभाग–4

संख्या 248 / 77–4–18–89एम0–14

लखनऊ, 2 फरवरी, 2018

अधिसूचना

सा०प०नि०–6

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) की धारा 36 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्रय क्रिया कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) से है,

(ख) 'पथ विक्रय प्रमाण-पत्र' का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता को ऐसे क्षेत्र में जैसा कि प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय, पथ विक्रय हेतु प्राधिकृत करने के लिए नगर पथ विक्रय समिति द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र से है,

(ग) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(घ) 'औद्योगिक विकास प्राधिकरण' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है,

(ङ) 'अनुरक्षण शुल्क' का तात्पर्य पथ विक्रय परिक्षेत्र में किसी पथ विक्रेता को उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवधारित धनराशि से है,

(च) 'पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र अथवा उसके भाग से है, जहाँ पथ विक्रय गतिविधियाँ न चलाने की घोषणा की गई हो,

(छ) 'योजना' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन तैयार की गई किसी योजना से है,

(ज) 'प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र अथवा उसके भाग से है, जहाँ कतिपय समयावधि के दौरान पथ विक्रय की गतिविधियाँ अनुमन्य की गयी हो,

(झ) 'प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्रय परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र या उसके भाग जहाँ पथ विक्रेताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलापों के लिए अनुमति दी जाए से है,

(ञ) 'स्कीम' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्कीम से है,

(ट) 'पथ विक्रय प्रभार' का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता द्वारा जिसे समय-समय पर पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, भुगतान किये गये प्रभार से है।

(2) 'शब्द और पद' जो परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए क्रमशः समनुदेशित है।

प्रतिषेध

3-(1) कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पथ विक्रय प्रमाण-पत्र के बिना किसी सार्वजनिक स्थान या खुले स्थान पर विक्रय के सम्बंध में कोई स्थान नहीं घेरेगा, कोई सामान सम्प्रदर्शित नहीं करेगा या नहीं लगायेगा अथवा पथ विक्रय द्वारा सेवा या माल की बिक्री नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित क्षेत्रों या स्थानों से भिन्न किन्हीं क्षेत्रों या स्थानों पर पथ विक्रय द्वारा अथवा फेरी करके अपना सामान नहीं बेचेगा या अपनी सेवाएं नहीं प्रदान करेगा।

(3) किसी पथ विक्रेता को, ऐसे किन्हीं क्षेत्रों और स्थानों, जिनके लिए उसके पास नगर पथ विक्रय समिति द्वारा दिया गया पथ विक्रय प्रमाण-पत्र न हो, पर पथ विक्रय सम्बन्धी कारोबार किये जाने का अधिकार नहीं होगा।

नगर पथ विक्रय समिति का गठन

4-(1) अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिए होगा।

परन्तु यदि राज्य सरकार की यदि यह राय हो कि कोई नगर पथ विक्रय समिति, अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और स्कीम के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वह किसी नगर पथ विक्रय समिति का विघटन कर सकती है और उसके स्थान पर एक नई नगर पथ विक्रय समिति का गठन कर सकती है।

(2) प्रत्येक नगर पथ विक्रय समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा,

(ख) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट ग्यारह सदस्य,

(ग) गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अध्यक्ष द्वारा योग्यता के आधार पर पारदर्शी रीति से नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दो होगी;

(घ) शेष सदस्य, निम्नलिखित श्रेणियों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे–

(एक) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

(दो) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि;

(तीन) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि;

(चार) औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर स्तरीय पंजीकृत बाजार संगठनों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

(पांच) औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट रेजीडेंट वैलफेयर एसोशिएशन के सदस्य जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

(छः) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि,

(सात) अग्रणी बैंक(लीड बैंक) का एक प्रतिनिधि, जो मुख्य प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(आठ) मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि,

(नौ) मुख्य अभियंता/परियोजना अभियन्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत निगम का एक प्रतिनिधि,

(दस) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नामित अग्नि शमन विभाग का एक प्रतिनिधि,

(ग्यारह) यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एक अधिकारी जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न, नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। तथापि, दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके सदस्यों को पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

(4) यदि राज्य सरकार की राय में नगर पथ विक्रय समिति का कोई सदस्य, अधिनियम या इस नियमावली द्वारा/या उसके अधीन अधिरोपित अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक करता है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो राज्य सरकार या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी के आदेश द्वारा, नगर पथ विक्रय समिति से ऐसे सदस्य को हटा सकती है।

पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति

5–(1) परन्तु ऐसे सदस्य को उसके हटाये जाने के पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा। पथ विक्रेताओं में से कोई सदस्य निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किया जायेगा–

(क) सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऐसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रसारण वाले किन्हीं दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगा। सूचना की एक प्रति, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन आने वाले स्थानीय बाजारों में सहजदृष्य स्थानों पर भी प्रदर्शित की जायेगी;

(ख) अन्य बातों के साथ, पूर्वोक्त सूचना में सूचना के प्रकाशन का दिनांक, आवेदन-पत्र का प्रपत्र, अन्तिम दिनांक और आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की रीति दी जायेगी;

(ग) पूर्वोक्त सूचना, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र जमा करने के लिए अन्तिम दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी।

(घ) कोई व्यक्ति, किसी संघ का सदस्य होने पर, अपने पहचान के प्रमाण, पता और चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए अपने संघ में आवेदन कर सकता है,

(ङ) पथ विक्रेताओं का संघ खण्ड (घ) के अधीन तद्‌निमित्त आवेदित सदस्यों में से अपने सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है और नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए संस्तुति कर सकता है,

(च) औद्योगिक विकास प्राधिकरण, खण्ड (ङ) के अधीन संस्तुत आवेदकों के विवरण, विशेष रूप से औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले पथ विक्रय क्षेत्र में कार्य अनुभव का ब्यौरा और ऐसे अन्य विवरण जिसे वह उचित समझे, के संबंध में सूचनायें प्राप्त करेगा,

(छ) खण्ड(ङ), मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक संस्तुत आवेदक को एक विशिष्ट आवेदन-पत्र संख्या आवंटित करेगा और पथ विक्रेता संघों के साथ-साथ सभी आवेदकों को संसूचित करेगा,

(ज) यदि प्राप्त संस्तुतियाँ अपेक्षित संख्या से अधिक हो तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपेक्षित सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर करेगा। ऐसी लॉटरी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सम्पन्न की जायेगी,

(झ) औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वोक्त सूचनायें और नगर पथ विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची भी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा,

(ञ) नगर पथ विक्रय समिति की रचना, सम्बंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उपनियम (1) के अधीन प्रयोजनों के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तीन अधिकारियों की एक समिति गठित कर सकता है।

नगर पथ विक्रय समिति के कृत्य

6-नगर पथ विक्रय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे -

(क) अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करना और, पथ विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता और प्रतिमानों के अध्यधीन पथ विक्रय परिक्षेत्र में उनको स्थान देना सुनिश्चित करना,

(ख) ऐसी निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रेताओं की योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए ऐसी अवधि जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो, के अन्तर्गत पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करना,

(ग) जहाँ पथ विक्रेता पथ विक्रय के विनियमन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है वहाँ उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात उसके पथ विक्रय प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित करना,

(घ) प्रत्येक पथ विक्रेता जिसे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है, को परिचय-पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करना,

(ङ) औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पथ विक्रेताओं को दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का अनुश्रवण करना,

(च) प्रतिबन्ध रहित पथ विक्रय क्षेत्रों, दिनांक, दिन और समय से सम्बन्धित प्रतिबन्ध युक्त क्षेत्रों और पथ विक्रय निषिद्ध परिक्षेत्रों के रूप में चिह्नित किये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को संस्तुतियां करना,

(छ) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट विषय वस्तु को आच्छादित करते हुए पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु योजना तैयार करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को संस्तुति करना,

(ज) बाजारों की प्रकृति के अवधारण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को संस्तुति करना,

(झ) पथ विक्रय के लिए निबन्धन एवं शर्तों को नियत करना,

(ञ) शुल्क और अन्य प्रभारों को संग्रह करना,

(ट) पथ विक्रेताओं को कोई क्षेत्र या कोई स्थान या कोई अवस्थिति उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में मानकों का विनिश्चय करना,

(ठ) साप्ताहिक बाजारों की निरन्तरता और उनका उच्चीकरण सुनिश्चित करना,

(ड) अधिनियम की धारा 38 के अधीन बनाई गई पथ विक्रय योजना के क्रियान्वयन और निष्पादन का अनुश्रवण करना,

(ढ) समय-समय पर पथ विक्रय शुल्क नियत करना,

(ण) औद्योगिक विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार को समय-समय पर विवरणों या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

(त) पथ विक्रेताओं के अभिलेख विस्तृत रूप से अनुरक्षित और अद्यावधिक रखना,

(थ) पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना,

(द) उसके क्रियाकलापों की सामाजिक सम्परीक्षा कार्यान्वित करना,

(ध) पथ विक्रेताओं को साख, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों को उपलब्ध कराने सम्बंधी प्रोन्नयन उपायों को अपनाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजना,

(न) प्रत्येक पथ विक्रय परिक्षेत्र में अधिकतम धारण क्षमता का मूल्यांकन और अवधारण करना,

(प) औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पथ विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण/जनगणना करना,

(फ) यह सुनिश्चित करना कि जनता जो उपलब्ध कराये गये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकथित लोक स्वास्थ्य, आरोग्य और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है,

(ब) नगर/शहर/बाजार निर्माण दिवस आदि को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण अवसरों, अवकाशों को मनाने के लिए साप्ताहिक बाजारों, त्यौहारी बाजारों, रात्रिकालीन बाजारों के सघों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना,

(भ) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे चल पथ विक्रेताओं जिन्हें स्टाल/पथ विक्रय स्थल/पथ विक्रय क्षेत्र आवंटित हैं, वे वास्तव में उनका उपयोग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना कि इन्हें किराये पर नहीं दिया गया है/या अन्य को बेचा नहीं गया है,

(म) कोई अन्य कृत्य जैसा कि राज्य सरकार या सम्बधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किया जाये।

नगर पथ विक्रय समिति की बैठक

7--(1) कारबार के संव्यवहार के लिए नगर पथ विक्रय समिति की बैठक, प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन माह में उस स्थान और उस समय, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) स्थगित की गई बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक में संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार की सूची, नगर पथ विक्रय समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए नियत किये गये समय से कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व भेज दी जायेगी :

परन्तु कारबार की सूची डाक द्वारा भेजी जाये तो इसे इस प्रकार भेजा जाय कि उसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर तामील की जा सके।

(3) नगर पथ विक्रय समिति का अध्यक्ष जब वह उचित समझे, समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अधियाचन किये जाने पर समिति की बैठक आहूत कर सकता है।

(4) नगर पथ विक्रय समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें नगर पथ विक्रय समिति के परिधि की विषय वस्तु के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, को सहयुक्त कर

सकती है और उसे या उन्हें वह भत्ता जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए, संदत्त कर सकती है।

(5) नगर पथ विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित पथ विक्रेताओं और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंधो के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नगर पथ विक्रय समिति ऐसा भत्ता/मानदेय दे सकती है जैसा उसके द्वारा अवधारित किया जाए।

गणपूर्ति

8–समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कारबार संव्यवहृत न किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के कुल सदस्यों की कम से कम एक तिहाई संख्या में सदस्य उपस्थित न रहें।

नगर पथ विक्रय समिति की बैठक में विनिश्चय

9–(1) समिति द्वारा विचारार्थ और विनिश्चय किये जाने हेतु अपेक्षित समस्त विषय, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(2) मामले की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समिति, कार्य सूची के परिचालन द्वारा विनिश्चय कर सकती है।

(3) समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि की जायेगी।

(4) नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा, जो समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबंध

10–औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नगर पथ विक्रय समिति को पर्याप्त उपस्कर सहित समुचित कार्यालय, स्थल, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी उपलब्ध करायेगा।

उपसमितियाँ

11–(1) नगर पथ विक्रेता समिति अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित किसी उपसमिति के पास ऐसे अधिकार होंगे और वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि नगर पथ विक्रेता समिति, समय-समय पर प्रतिनिधानित करे या प्रदान करे।

पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण

12–(1) नगर विक्रय समिति, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करेगी।

(2) सर्वेक्षण, प्रपत्र-1 में सैक्टर और बाजार के अनुसार किया जायेगा और सभी आँकड़े डिजिटल रूप में संग्रहीत किये जायेंगे।

पथ विक्रेताओं का पंजीकरण

13–(1) प्रत्येक औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नियम 12 के अधीन किये गये सर्वेक्षण के अधीन अभिज्ञात सभी पथ विक्रेताओं को पहचान के विश्वसनीय श्रोतों के आधार पर नगर पथ विक्रय समिति द्वारा नियत किसी साधारण शुल्क पर पंजीकृत किया जायेगा।

(2) जो पहली बार पथ विक्रय कार्य करना चाहते हैं, उन्हें पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा परन्तु इसके लिए उन्हें शपथ पूर्वक यह बयान देना होगा कि उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है और वे पथ विक्रय स्थल से अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से व्यक्तिगत रूप से इसे संचालित करेंगे। पथ विक्रय परिक्षेत्र में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन उन्हें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

(3) पथ विक्रेताओं को प्रपत्र-2 में पंजीकृत करने का अधिकार, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी में निहित होगा।

(4) प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात पंजीकरण को नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सर्वेक्षण में अभिज्ञात पथ विक्रेताओं, जिन्होंने आवेदन के दिनांक को चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, को पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

14–(1) नियम 11 के अधीन किये गये सर्वेक्षण में अभिज्ञात और नियम 13 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक पथ विक्रेता को, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना

(2) प्रत्येक पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेगा।

(3) पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अधीन जारी किया जायेगा, अर्थात :–

(क) स्थिर विक्रेता; या

(ख) चल विक्रेता; या

(ग) साप्ताहिक बाजार का विक्रेता; या

(घ) कोई अन्य श्रेणी जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो अथवा जैसा कि नगर पथ विक्रय समिति द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) निबन्धन और शर्तें जिन पर प्रपत्र-2 में वचन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा निम्नवत है:–

(एक) स्थिर पथ विक्रय के लिए स्थायी संरचना निर्माण करने पर रोक रहेगी;

(दो) पथ विक्रेता, नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा यथा अवधारित शुल्क का नियमित रूप से और समय पर संदाय करेगा;

(तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट, सड़क, फुटपाथ या नाली या मलनाली में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर-घर से अपशिष्ट एकत्र करने हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करना होगा;

(चार) प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय-स्थल और उसके संलग्न क्षेत्रों में स्वच्छता बनाये रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता लोक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाये रखेंगे;

(पांच) पथ विक्रय प्रमाण–पत्र में उल्लिखित आवंटित स्थल और समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका किसी प्रकार का उल्लंघन, अधिनियम और उक्त स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा;

(छः) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का अनुरक्षण और पथ विक्रय परिक्षेत्र तथा संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;

(सात) पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों का सुगम संचालन और लोक सुविधाएं बाधित न हों;

(आठ) पथ विक्रेता प्रतिबंधित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि कार्य/व्यापार/सेवा-कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हो या लोक बाधा उत्पन्न करते हों;

(नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अधीन स्थान की उपलब्धता पर निकटवर्ती पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा;

(दस) पैदल उपरिगामी सेतुओं और फ्लाईओवर पर कोई पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप नहीं किया जायेगा;

(ग्यारह) पूजा स्थल के बाहर पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप करने और देवी-देवता को चढ़ाने हेतु भक्तों द्वारा अपेक्षित सामग्रियों यथा पुष्प, चंदन काष्ठ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, चादर और मिष्ठान आदि का विक्रय करने की अनुमति दी जा सकती है। नगर पथ विक्रय समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस सम्बंध में विनिश्चय कर सकती है और पथ विक्रेताओं को इन निर्बंधनों और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विकलांग जनों और अल्प संख्यकों के पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने में सभी बातों के समान होने पर अधिमान दिया जायेगा।

(6) पथ विक्रय प्रमाण-पत्र तीन वर्षों के लिए जारी किया जायेगा। यदि सभी निबंधन और शर्तों का सच्चाई से अनुपालन किया गया हो और अधिनियम और नियमावली का उल्लंघन न किया गया हो तो पथ विक्रय प्रमाण-पत्र आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जायेगा।

(7) प्रत्येक पथ विक्रेता जिसे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ऐसे पथ विक्रय शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि नगर पथ विक्रय समिति द्वारा स्थानीय स्थितियों और पथ विक्रेताओं की श्रेणियों को दृष्टिगत रखते हुए नियत किया जाय।

(8) प्रत्येक पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पथ विक्रय परिक्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के लिए समय-समय पर ऐसे अनुरक्षण शुल्कों का भुगतान करेगा जैसा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाये।

(9) जहां किसी पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेताओं की संख्या उप परिक्षेत्र की धारणक्षमता से अधिक पाई जाये वहां नगर पथ विक्रय समिति, उस पथ विक्रय परिक्षेत्र हेतु पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लॉटरी निकालेगी। शेष पथ विक्रेताओं को किसी पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए... पार्श्ववर्ती पथ विक्रय परिक्षेत्र, जहां पथ विक्रय के लिए समुचित स्थान उपलब्ध हो, में स्थान दिया जायेगा।

विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन

15-(1) नगर पथ विक्रय समिति की संस्तुति पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कुछ क्षेत्रों, स्थानों, वार्डों या परिक्षेत्रों या उनके आंशिक भाग को प्रतिबन्ध मुक्त रहित पथ विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र और पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जा सकेगा।

(2) स्थिर पथ विक्रेताओं जो किसी विशिष्ट स्थान पर नियमित आधार पर पथ विक्रय क्रियाकलाप करते हों, के लिए सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पथ विक्रय स्थलों और पथ विक्रेता बाजारों का विनिश्चय किया जायेगा।

(3) प्रत्येक औद्योगिक विकास प्राधिकरण में चल पथ विक्रेताओं के लिए एक या अधिक वार्डों को मिलाकर पथ विक्रय परिक्षेत्र होंगे जहां वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर पथ विक्रय करते हुए अभिहित क्षेत्रों में पथ विक्रय सम्बन्धी क्रियाकलाप कर सकेंगे।

(4) कतिपय स्थान, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहां पथ विक्रेता सम्बन्धित समय और दिन आदि में किसी प्रकार का विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप नहीं कर सकेंगे।

(5) कतिपय स्थल, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहां विक्रय सम्बन्धी क्रियाकलाप पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

(6) औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, व्यावहारिकताओं और तर्काधार को दृष्टिगत रखते हुए, विक्रय परिक्षेत्रों के सीमांकन के उद्देश्यों से उपविधियाँ बना सकेंगी।

नये पथ विक्रय बाजार बनाने का उपबंध

16-औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गयी महायोजना में, महायोजना, परिक्षेत्रीय योजनाओं और सेक्टर योजनाओं को अंतिम रूप देते या उनका पुनरीक्षण करते समय नए पथ विक्रय बाजारों को बनाने के विशिष्ट उपबंध किये जायेंगे। ऐसी योजनाओं में आरक्षित स्थान, पथ विक्रेताओं की वर्तमान संख्या और पूर्वगामी पांच वर्षों की वृद्धिदर पर आधारित भावी वृद्धिदर के अनुरूप होना चाहिए।

पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण या निलंबन

17-(1) पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण या निलंबन, नगर पथ विक्रय समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) यदि किसी पथ विक्रेता द्वारा किसी समय विहित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके पथ विक्रय क्रियाकलापों से यातायात के संचालन में व्यवधान या उपताप सत्यापित हो जाता है तो पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जहां पथ विक्रय प्रमाण-पत्र धारक, अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन और शर्त को भंग करता है अथवा यथास्थिति दुर्व्यपदेशन, कपट अथवा कूट रचना के माध्यम से पथ विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है या जो खुले में ऐसी वस्तुओं को बेच रहा हो, जो मानदण्डों का उल्लंघन है, वहां नगर पथ विक्रय समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जांच और अनुसंधान की अवधि के दौरान उस समय तक जितना वह उचित समझे, पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निलंबित कर सकेगा अथवा प्रपत्र-4 में उसको कारण बताओ नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकेगा।

पथ विक्रेता का दायित्व

18-(1) प्रत्येक पथ विक्रेता को, पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय क्रियाकलाप सम्बंधी कारबार करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसके पास पथ विक्रय प्रमाण-पत्र हो, अपने पुनःस्थान निर्धारण की स्थिति में अपने पथ विक्रय क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए नगर पथ विक्रय समिति के परामर्श से औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित यथास्थिति नये स्थल या क्षेत्र के लिए हकदार होगा।

(3) जहां कोई पथ विक्रेता समयांश के आधार पर स्थान घेरता है, वहां उसे प्रतिदिन अनुमन्य समयांश अवधि की समाप्ति पर अपनी वस्तुएं और सामग्री हटानी होगी।

(4) प्रत्येक पथ विक्रेता, पथ विक्रय परिक्षेत्र में नागरिक सुविधाएं और लोक सम्पत्तियों को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखेगा और उन्हें क्षतिग्रस्त या विनष्ट नहीं करेगा, अथवा न क्षतिग्रस्त या विनष्ट करने देगा।

(5) प्रत्येक स्थिर पथ विक्रेता को, पथ विक्रय परिक्षेत्र में जहां समुचित रूप से उपलब्ध हो, 2 मीटर x 2 मीटर से अनधिक क्षेत्र, इस रीति से उपलब्ध कराया जा सकेगा कि यानीय और पैदल यातायात में बाधा उत्पन्न न हो और दुकानों और आवासों तक की पहुंच बन्द न हो।

(6) पैदल सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं और फ्लाईओवर के ऊपर पथ विक्रय क्रियाकलाप नहीं किया जायेगा।

(7) कोई पथ विक्रेता जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई वाद्ययंत्र या संगीत बजाकर कोई शोर उत्पन्न नहीं करेगा।

(8) प्रत्येक पथ विक्रेता, अपने पथ विक्रय स्थलों की सफाई के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कोई कार्य करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी वर्ग को भी पूर्ण सहयोग देगा।

(9) प्रत्येक पथ विक्रेता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ रखना होगा।

(10) पथ विक्रय क्षेत्र या स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

(11) किसी पथ विक्रेता द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। ऐसा कोई व्यापार, सेवा या कार्य पथ विक्रय परिक्षेत्र में अनुमन्य नहीं होगा।

पथ विक्रेता का पुनर्स्थापन

19-(1) पथ विक्रेता, जो पथ विक्रय प्रमाण-पत्र धारित करता हो, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकेगा यदि-

(क) किसी लोक प्रयोजन के लिए वार्ड या उसका आंशिक भाग या स्थान पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जाता है;

(ख) नागरिक सुविधाओं या अन्य अवस्थापना के अनुरक्षण के लिए निर्माण और विकास का कार्य किया जाता है;

(ग) यातायात और परिवहन में बाधा, अवरोध और विघ्न उत्पन्न हो;

(घ) कानून और व्यवस्था बनाये रखने की स्थिति उत्पन्न होती है;

(ङ) पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेताओं की संख्या धारण क्षमता से अधिक हो;

(च) यातायात और परिवहन का दबाव और वहां पर भीड़भाड़ हो;

(छ) कोई अन्य कारण हो जो नगर पथ विक्रय समिति की दृष्टि में उचित हो।

(2) स्थान की उपलब्धता, परिवहन, यातायात संचरण और जनसंख्या-घनत्व की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्स्थापन किया जायेगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नगर पथ विक्रय समिति की संस्तुति पर उपरोक्त मानदण्ड और स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में क्षेत्र की धारण क्षमता अवधारित करेगी।

(3) पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी :—

(क) स्थान, जिसके लिए पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, की अत्यावश्यक लोक प्रयोजन के लिए अत्याधिक रूप से अपेक्षित हो;

(ख) पथ विक्रेता का पुनर्स्थापन इस प्रकार किया जायेगा कि वह कम से कम अपनी आजीविका अनुरक्षित रखे;

(ग) जहा तक सम्भव हो, पथ विक्रेता की आस्तिया विनष्ट न की जाय;

(घ) पथ विक्रेता को बिना उचित विधि प्रक्रिया के पुनर्स्थापित नही किया जायेगा,

(ङ) किसी पथ विक्रेता के पुनर्स्थापन के लिए उसे प्रपत्र–5 मे तीन दिवस की नोटिस दी जायेगी;

(च) किसी ऐसे पथ विक्रेता, जो नोटिस मे उल्लेखित समय के अंतर्गत स्थान को रिक्त करने मे विफल रहता है, को बलपूर्वक उस स्थान से पुनर्स्थापित किया जायेगा जैसा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

पथ विक्रेता की बेदखली

20–(1) औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पथ विक्रेता को बेदखल किया जा सकता है, यदि —

(क) उसका पथ विक्रय प्रमाण–पत्र अधिनियम की धारा 10 के अधीन रद्द किया जा चुका हो;

(ख) उसके पास विधिमान्य पथ विक्रय प्रमाण–पत्र न हो;

(ग) वह बिना पथ विक्रय प्रमाण–पत्र के पथ विक्रय सम्बधी क्रियाकलाप करता हुआ/ करती हुई पाया जाये/पायी जाये;

(घ) वह अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबधों का उल्लंघन किया हो/की हो;

(ङ) औद्योगिक विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उचित और न्यायसगत समझे।

(2) किसी पथ विक्रेता को प्रपत्र–6 मे एक माह की नोटिस दिये जाने के पश्चात ही बेदखल किया जायेगा।

(3) यदि पथ विक्रेता उपनियम (2) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने मे विफल रहता है और स्थान रिक्त नही करता है तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे भौतिक रूप से बलपूर्वक, जैसा कि उचित समझा जाये, बेदखल कर देगा।

वस्तुओं का अभिग्रहण और वापस लिया जाना

21–(1) यदि कोई पथ विक्रेता स्थान रिक्त किये जाने की नोटिस का अनुपालन नही करता है तो एक माह की समाप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास प्राधिकरण उस पथ विक्रेता के वस्तुओं को अभिगृहीत भी कर सकती है।

(2) वस्तुओ को, अभिगृहीत और वापस लिये जाने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 19 के उपबधों के अधीन की जायेगी।

(3) पथ विक्रेता अपनी वस्तुओं की वापस प्राप्ति के लिए यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(4) अभिगृहीत वस्तुओं को वापस लिये जाने के शुल्क का अवधारण नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(5) यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उपनियम (4) के अधीन नियत शुल्क के भुगतान और पथ विक्रेता जिसकी वस्तुए अभिगृहीत की गयी हों से, एक वचनबद्ध कि वे बेदखल किये गये स्थान या परिक्षेत्र में स्थित किसी अन्य स्थान पर पथ विक्रय सम्बधी क्रियाकलाप नही करेगा, प्राप्त करने के पश्चात वस्तुओं को मुक्त कर सकता है।

22–(1) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, को नगर पथ विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिचय–पत्र प्रपत्र–7 में जारी किया जायेगा। — परिचय-पत्र जारी किया जाना

(2) परिचय–पत्र पथ विक्रेता की जेब में रखा जायेगा और नगर पथ विक्रय समिति या औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर दिखाया जायेगा।

23–(1) औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय परिक्षेत्र में उपलब्धता के अध्यधीन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा सकती है :– — पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं

(क) ठोस अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा;

(ख) सार्वजनिक प्रसाधनों की सुविधा;

(ग) पेयजल की सुविधा;

(घ) प्रकाश व्यवस्था की सुविधा;

(ङ) कोई अन्य सुविधा जो सम्बधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जाये।

(2) (क) किसी पथ विक्रेता को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है जिससे कि उसे कारबार के संचालन में समर्थ बनाया जा सके, स्वयं सहायता समूह निजी अंशदान, वित्तीय संस्थाओं से ऋण और विभिन्न योजनाओं से अनुदान आदि के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सकता है। एक निधि स्थापित की जा सकती है और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ख) पथ विक्रेताओं, जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो, के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ की जा सकती है;

(ग) पथ विक्रेताओं की सामाजिक प्रास्थिति के उन्नयन के लिए और सामाजिक सुरक्षा की कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गैर सरकारी संगठनों, पथ विक्रेताओं के संगमों और संघों तथा अन्य कल्याणकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

24–(1) कोई व्यक्ति जो नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चय से व्यथित हो, आदेश प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है। — नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील

(2) अपील दाखिल किये जाने के समय नगर पथ विक्रय समिति के आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज उसके साथ संलग्न किये जायेंगे।

(3) अपीलार्थी अपने कागज पत्र यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

(4) सुनवाई का दिनांक नियत किया जायेगा और अपीलार्थी और साथ ही साथ नगर पथ विक्रय समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए समन भेजा जायेगा।

25–(1) शिकायतों के निवारण या विवादों के समाधान के लिए पथ विक्रेता द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालक समिति या औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गठित समिति, जिसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण के यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, सदस्य के रूप में होंगे, को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। — पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान की रीति

(2) शिकायत या विवाद के संबंध में आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने पर समिति यथास्थिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी से प्रकरण पर आख्याएं और टिप्पणियाँ एकत्र करेगी और आवेदन-पत्र की प्राप्ति से एक माह के भीतर उस विवाद के निस्तारण के लिए कदम उठायेगी। इस सम्बंध में उठाये गये कदमों की संसूचना आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर दी जायेगी।

(3) कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) में गठित समिति के विनिश्चय से व्यथित हो, उपनियम (2) के अधीन तद्विषयक विवरण की संसूचना प्राप्ति से तीस दिवसों के भीतर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(4) औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपीलार्थी को समन जारी करेगी और उसे एक माह के अन्दर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अगले एक माह में अपील का निस्तारण कर सकती है।

अनुश्रवण

26–इस नियमावली और उक्त अधिनियम में विहित उपबन्धों का अनुश्रवण निम्नलिखित स्तरों पर किया जायेगा:–

(क) नगर पथ विक्रय समिति इस नियमावली में उल्लिखित नीतियों और उपबंधों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) नगर पथ विक्रय समिति अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक स्थिर या चल या साप्ताहिक बाजार के पथ विक्रेता के संबंध में ऐसे अद्यावधिक सूचना की पंजिका अनुरक्षित रखेगा जिसमें ऐसे पथ विक्रेता का नाम, उसे आवंटित स्थान, उसके द्वारा किये जा रहे कारबार या पथ विक्रय–कार्य की प्रकृति, पथ विक्रय की श्रेणी, अपील का विवरण, शिकायतों का निवारण, विवादों का समाधान, पथ विक्रय शुल्क, पंजीकरण शुल्क, शास्ति, अनुरक्षण शुल्क प्रयोक्त प्रभार, रोकड़ बही, और पथ विक्रेताओं से सुसगत अन्य विवरण अन्तर्विष्ट हों;

(ग) औद्योगिक विकास प्राधिकरण नगर पथ विक्रय समिति की कार्यप्रणाली और क्रियाकलापों का निरन्तर अनुश्रवण करेगी;

(घ) नगर पथ विक्रय समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होगा, यथासम्भव शीघ्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सम्मुख रखा जायेगा, जो तत्पश्चात ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा वह उचित समझे–

(एक) पथ विक्रेताओं (स्थिर, चल और साप्ताहिक बाजारों) जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, की संख्या;

(दो) संग्रहीत राजस्व (लेखाशीर्षकवार);

(तीन) किये गये उन्नयन सम्बन्धी और अन्य उपाय;

(चार) प्राप्त और निस्तारित अपीलों की संख्या;

(पाँच) निस्तारित शिकायतों और निपटाये गये विवादों की संख्या;

(छः) उपगत व्यय;

(सात) पथ विक्रेताओं के कल्याण और उनकी समुन्नति के लिए उठाये गये कदम;

(आठ) सर्वोत्तम कार्य पद्धतियाँ (यदि कोई हों);

(नौ) विषयगत कोई अन्य उपलब्धि;

(ङ) नगर पथ विक्रय समिति वार्षिक प्रतिवेदन को औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को प्रस्तुत करेगी।

प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश की भूमिका

27–प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उ0 प्र0 शासन :–

(1) औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्कीम के क्रियान्वयन का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, सामान्य अधीक्षण का प्रयोग और अनुश्रवण करेगा;

(2) क्षेत्र स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन का सामयिक निरीक्षण करायेगा;

(3) स्कीम के क्रियान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करेगा;

(4) स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश / दिशा निर्देश जारी करेगा;

(5) औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करेगा और स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करेगा;

(6) स्कीम के क्रियान्वयन का सवर्ती मूल्यांकन करायेगा;

(7) स्कीम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क रखेगा;

(8) औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की अवधि में उत्पन्न विवादों के संबंध में निर्दिष्ट किये गये प्रकरणों में अन्तिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(9) राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये प्रतिनिधानित किसी अन्य कृत्य का निस्तारण करेगा।

888 RPH Data-7 (2018)

28–राज्य स्तर पर पथ विक्रय से सम्बन्धित समस्त मामलों के समन्वय के लिये प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग, उ० प्र० शासन या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगा। राज्य नोडल अधिकारी को पदाभिहित किया जाना

29–नगर पथ विक्रय समिति की अधिकारिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में और अन्य मामलों के सम्बन्ध में उठने वाले विवाद या प्रश्न की स्थिति में, विवाद या प्रश्न प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग, उ० प्र० शासन को निर्दिष्ट किये जायेंगे, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग को विवाद और प्रश्नों का निर्दिष्ट किया जाना

30–(1) पथ विक्रेता जो इस नियमावली या उसके अधीन बनाई गई स्कीम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, को प्रत्येक अपराध के लिये औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित एक हजार पाँच सौ रुपये से अन्यून और दो हजार रुपये से अनधिक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। अपराधों का शमन

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, प्रशमन शुल्क के रूप में दो हजार रुपये की धनराशि वसूली किये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव।